राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा

Email-dlo.kot@rajasthan.gov.in

क्रमांकः-निविदा / लेखा / कोटा / 2022-23 / 2175

निविदा आमंत्रण सूचना 05/2022-23

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर की वितीय स्वीकृति क्रमांक—एफ 7 (2) (108)/रा.छा./कोष बजट/सान्याअवि./2021—22/18995—19029 दिनांक 12.12.2022 एवं क्रमांक एफ 7 (2) (32)/रा.छा./सान्याअवि/पार्ट—2/22/19987—20022 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय कर्यालय के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए इन्वर्टर मय बैटरी क्रय किये जाने है, उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक/सक्षम निविदादाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों मे)	बोली प्रतिभुति राशि 2 प्रतिशत (अनुमानित लागत की)	निविदा प्रपत्र शुल्क	फार्म विक्रय करने की दिनांक एंव समय	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि एंव समय	निविदा खोलने की तिथि एंव समय
1.	Inverter with 2 batteries	20	7.40	14800/-	500/-	14.02.2023 से 28.02.2023 को प्रातः 10.00 बजे तक	28.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक	01.03.2023 को प्रातः 11.30 बजे से

निविदा आमन्त्रण की शर्ते :-

- बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/-एवं बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट/बैकर्स चैक जो कि Deputy Director, Socical Justic and Empowerment Department, Kota के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
- 2. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एंव सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही कि जायेगी।
- 3. धरोहर / प्रतिभुति राशि केवल डीडी / बैकर्स चैक के रूप में ही स्वीकार की जायेगी नकद स्वीकार नही की जायेगी।
- 4. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर उपापन समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नही खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा एवं आगामी कार्य दिवस को निविदाये उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- सामान्य वित व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एंव नियम 2013 की समस्त शर्ते व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होगें।
- 6. निविदा संशोधित/निरस्त/तिथि परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

NIB CODE - SOC 2223A0307 URN-SOC2223GS0800328

- 30 (ओम प्रकाश तोषनीवाल)

उप निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

कोटा दिनांक:- 13/02/2023

दिनांक:- 13/02/2023

क्रमांकः -- निविदा / लेखा / कोटा / 2022-23 / 2176 प्रतिलिपिः सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है--

01. श्रीमान निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जयपुर

- 02. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
- 03. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय (छात्रवृति एंव छात्रावास) सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जयपुर
- 04. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि नियमानुसार निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र कोटा जिले के स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डी०पी०आर० दरो पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन कराने का श्रम करावे।
- 05. श्रीमान वितीय सलाहकार, महोदय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जयपुर
- 06. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सुचना एंव निविदा प्रपन्न भेज कर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावें।
- 07. नोटिस बोर्ड सुचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि कोटा/कोष कार्यालय कोटा।

उप निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कोटा

=200

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा

जारीकर्ता अधिकारी के लघ हस्ताक्षर एंव तिथि

निविदा सूचना 05/2022-23

निविदा प्रपत्र

विषय :- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कोटा के अधीन संचालित छात्रावासों लिए इन्वर्टर मय बैटरी की आपूर्ति हेत्।

- 1. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था / फर्म / एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता......
 - ई–मेल आईडीमोबाईल.....

2. प्रोपराईटर का नाम एंव स्थायी पता

प्रोपराईटर का आधार कार्ड नम्बर......

- 4. निविदा प्रपन्न शुल्क राशि 500 / रूपये जमा कराने का विवरण -नकद जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....दिनांक.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा के पक्ष में जारी हो जमा कराने का विवरण :--डी.डी. / बैंकर चैक संख्यादिनांक
- 6. संस्था के बैंक खाते का विवरण :-
 - (अ) बैंक खाते में उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार)......
 - (ब) बैंक का नाम व शाखा
 - (स) बैंक खाता संख्याआईएफएससी कोड......
- 7. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण –

क्र.	विवरण	रजिस्ट्रेशन	वर्ष	पंजीकरण	Valid
सं.	S	नम्बर		दिनांक	up to
01.	वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी)				
02.	आय कर (पैन)		ANNI CONTRACTOR		
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम . 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत	-Weiter And The			
04.	जुलाई–2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र / चालान की कॉफी	and the second se	Narita di Cal		
05.	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र	and the second sec		ness au	
06	अन्य दस्तावेजः– 01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड		56 (J.)		

उक्त सभी रजिस्ट्रेशन एंव दस्तावेजो के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/स्वंय द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

8. तकनीकी सक्षमता :--

वितीय टर्न ओवर :--प्रति वर्ष के टर्नओवर का विवरण/आयकर रिटर्न /गत तीन वर्षों का वितीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगें।

कं. सं.	वितीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)	आय
01	2019—20		
02	2020-21		
03	2021-22		

01. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत हूँ / हैं सहमति के साक्ष्य स्वरूप निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे / हमारे हस्ताक्षर किये गये है।

02. दरें समस्त करों सहित निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	वांछित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन	ब्राण्ड का नाम एवं निर्माण वर्ष	प्रस्तुत दर प्रति नग सभी करों, एफओआर एंव इन्सटॉलेशन सहित
1	2	3	4	5
1.	Inverter with 2 batteries	Annexure-A में वर्णित स्पेसिफिकेशन या उससे उच्च स्पेसिफिकेशन		रूपये शब्दों में

नोट :--

- 1. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी है।
- दरें समस्त करों सहित होगी एंव एफओआर कार्यालय के अधीन संचालित सभी छात्रावासो (संलग्न सूची), कोटा में मय इन्स्टॉलेशन के होगी।
- 3. निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही सामग्री स्वीकार्य होगी।

उपरोक्त सामग्री/सेवायें की निविदा के सन्दर्भ में जारी की गई समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुये सप्लाई करने को सहमत हूँ। आदेशित सामग्री/सेवायें नियत समय पर आपूर्ति करने को सहमत हूँ। निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर/समझकर उक्तानुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

मैने/हमने उप निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांकदिनांक साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे / हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कार्यालय को बिना किसी पत्र / नोटिस के मेरी / हमारी अमानत राशि जब्त करने एंव उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को प्रदत्त करता हूँ / करते है।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर संस्था / फर्म / एजेन्सी की सील

Annexure-A

कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा इन्वर्टर मय 2 बैटरी का न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स

क्र.	सामग्री का नाम	Minimum Specification/Requirement				
सं.	मय विवरण					
01	INVERTER WITH DOUBLE BATTERIES	Туре	branded inverter with RC 18000 Battery (2 Batteries)			
		Capacity	inverter 1500 VA (minimum) Double battry-150 Ah			
		Technology	Inverter – Sine Wave, Battery – Tall Tubular			
		operating voltage	110 V - 285 V			
		Protections	otections overload, deep discharge, short- circuit, reverse polarity, input mains protection through MCB			
		Dimensions Approx				
		Length	505 mm			
		Width	220 mm			
		Height	258 mm			
		Battery Weight - Dry	29.5 kg (+/-5% KG)			
		Battery Weight - Wet	44.5 kg (+/-5% KG)			
			Warranty			
		Warranty	inverter – 24 months, Battery – 18+18* month			

C 318 mp

उप निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा

<u>निविदा सूचना 05/2022–23</u>

निविदा की सामान्य शर्ते

विषय :-- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कोटा के अधीन संचालित छात्रावासों में इन्वर्टर मय बैटरी की आपूर्ति हेतु।

- बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा नियत दिनांक तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- एवं बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चैक जो कि Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department, Kota के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
- कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा में प्रति इन्वर्टर मय बैटरी की दर बाजर में प्रचलित दर से अधिक नही होनी चाहिए। ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
- 3. निविदा में इन्वर्टर मय बैटरी की कम्पनी का नाम व निर्माण वर्ष अंकित करना आवश्यक होगा
- रजिस्टर्ड सामग्री प्रदाता संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावे तथा निविदा के साथ अमानत राशि नकद स्वीकार्य नहीं होगी।
- 5. निविदादाता को इस प्रपन्न के पृष्ठ संख्या 01 पर अंकित सभी दस्तावेजो की छाया प्रतिया स्व प्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपन्न के साथ संलग्न करनी होगी।
- समान दरें प्राप्त होने पर सामग्री की क्वालिटी / ब्रान्ड के आधार पर उपापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 7. ई—ग्रस के माध्यम से बोली प्रतिभूति राशि एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाने हेतु वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 एंव वित (जीएण्डटी) विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 09.07.2020 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- 8. निविदादाता द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। स्टाम्प निविदा जारी होने के बाद की तिथि का होना चाहिए तथा मूल शपथ पत्र, निविदा/धरोहर राशि के डीडी/बैकर्स चैक के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- 9. निविदादाता यदि निविदा खुलने के बाद परन्तु अनुमोदन/स्वीकृति से पूर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें, या निविदा वापस लेने या आपुर्ति की जाने वाली सामग्री का अनुबन्ध समय पर नही करें या समय पर सम्पादन सिक्युरिटी राशि जमा नही करावे या समय पर सामग्री की आपूर्ति नही करावें या अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करें, तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एंव नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 10. अस्वीकृत निविदाताओं को निविदा प्रपन्न के साथ जमा करवाई गई धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी—

क. यदि निविदाताओं को निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं अथवा स्वेच्छा से संशोंधित करता है।

- ख. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।
- ग. यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- घ. यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करता है।
- 11. सफल निविदादाता अपने कार्यों या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को नही सौपेगा और ना ही उप बेचान करेगा ।
- 12. न्युनतम बोली स्वीकार करने के लिए यह कार्यालय बाध्य नही होगा तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।
- 13. यदि सफल निविदादाता सामग्री आपूर्ति बीच में ही छोडकर चला जाता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा में उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को निविदादाता की जोखिम एंव लागत पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एंव उसकी वसूली सम्बन्धित निविदादाता से की जावेगी।
- 14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। कानुनी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा, राजस्थान होगा।
- 15. सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।
- 16. सामग्री प्रदाय कर्ता का कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करनें का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।

- 3Darp

- 17. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित किये गये स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड में ही करनी होगी अगर सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड के अनुसार नही की जाती है तो भुगतान नही किया जाकर उपापन संस्था जारी कार्यादेश को रद्द कर सकेगी।
- 18. समस्त सामग्री बाजार में प्रचलित उच्च ब्रान्ड / क्वालिटी मे होनी चाहिए।
- 19. निविदादाता निविदा प्रपत्र भली प्रकार से पूर्ण रूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एंव फर्म की मोहर अंकित करके फाईल को निर्धारित दिनांक एंव समय तक जिला कार्यालय पर जमा हो जाना चाहिये। प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक एंव समय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।
- 20. दरे शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रूटि या उपरिलेखन नही होना चाहिए।
- 21. निविदा में दी गई शर्तो के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा दी गई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी अर्थात सशर्त निविदाये स्वीकार नही की जावेगी ।
- 22. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप आयकर टी.डी.एस.,जी.ए.टी. टीडीएस अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
- 23. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 24. आदेशानुसार अथवा अनुमोदित गुणवत्ता का कार्य सम्पादित नहीं करने या कार्य करने में असमर्थ होने पर वांछित कार्य अन्य फर्म से करवाये जाने की दशा में अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी फर्म से की जायेगी।
- 25. इन्वर्टर मय बैटरी की दरें सभी करों एव प्रभारों सहित रहेगी जिसमें छात्रावासों मे इन्स्टॉलेशन चार्ज भी शामिल होगा।
- 26. इन्वर्टर मय बैटरी की आपूर्ति एवं इन्सटालेशन कार्यालय के अधीन संचालित जिले के छात्रावासों में करनी होगी जिसके लिए अलग से भाडा देय नही होगा अर्थात् उक्त सामग्री का एफओआर जिले में संचालित (संलग्न सूची) के अनुसार छात्रावासों में इन्सटालेशन करना होगा।
- 27. मात्रा की सीमा व पुनरादेश— यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक या कम के आदेश दिये जाते हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की आपूर्ति हेतु आबद्ध होगा। पुनरादेश की मात्रा व शर्तें लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा वित्त विभाग द्वारा जारी लागू प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 28. भुगतान:- नकद एवं अग्रिम भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। सामान की सुपुर्दगी संतोषप्रद ढंग से करने के बाद सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा। बिल के साथ फर्म के बैंक खाते का विवरण भी संलग्न करावें।
- 29. प्रत्येक सामग्री (उपकरण) पर योजना का लोगो एंव योजना के नाम को इंगित करने वाला प्रदर्शन अंकित करना होगा।
- 30. निविदा दर प्रस्तुत करने वाली फर्म/निविदादाता वित्त विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक एफ–1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 में उल्लेखित Annexures (निविदा शर्तों के साथ संलग्न) में वर्णित शर्तों को भी मानना/मानने के लिये बाध्य होगा।
- 31. निविदादाता को फर्म के पंजीकरण (कम्पनी एक्ट/फर्म/उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकरण/डीलरशीप ऑथोराईजेशन इत्यादि) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 32. निरीक्षण–कार्यालय द्वारा अधिकृत समिति द्वारा आपूर्ति सामग्री की भौतिक जांच की जा सकेगी।
- 33. अनुमोदित फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति करते समय सामग्री के किसी भी प्रकार की टूट/फूट/खराब होने की स्थिति में स्वय फर्म/निविदादाता उत्तरदायी होगा।
- 34. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के पश्चात सामग्री आपूर्ति से पूर्व प्रत्येक सामग्री का एक नमुना प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन या उससे उच्च स्पेशिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, सामग्री का नमुना निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही होने पर सफल निविदादाता का कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा और दूसरी वरीयता वाले निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
- 35. परिदान कालावधि—जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो चुकी है, वह इस कार्यालय द्वारा आदेश दिये जाने पर आदेश में वर्णित अवधि में सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। समय पर सामग्री की व्यवस्था में असफल रहने पर परिनिर्धारित राशि की वसूली की जावेगी।
- 36. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के पश्चात सामग्री आपूर्ति विभाग द्वारा नियत स्थान पर कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में करनी होगी।
- 37. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :--
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के लिए चौथाई अवधि से अधिक 5%
 - (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की से अधिक किन्तु 7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

CZAP

- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%
- (ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूर्ण करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा को घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- 38. अन्य शर्ते सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

नोटः- निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में GF&AR में वर्णित शर्तें ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

उप निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग कोटा

निविदा सूचना एवं उपरोक्त निविदा प्रपन्न में वर्णित 1 से 38 तक की समस्त शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसे मानने हेतु फर्म/निविदादाता सहमत है।

> हस्ताक्षर निविदादाता / फर्म / एजेन्सी मय सी

एस.आर.प्रारूप—11 निविदादाता की घोषणा (नियम 43—VII)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन सामानों/सामग्री के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर हूँ/है।

मैं / हम उपरोक्त समस्त शर्ते हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने / हमने हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत हूँ / है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

> निविदा दाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता

.....

क्र.स	छात्रावास का नाम	श्रेणी
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कमोलर	SC
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैथुन	SC
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैराबाद	SC
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खातोली	SC
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, महावीर नगर, कोटा	SC
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मालारोड, कोटा	SC
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मण्डावरा, कोटा	SC
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सांगोद	SC
9	राजकीय सावित्री बाई फुले कॉलेज स्तरीय छात्रावास, कोटा	SC
10	राजकीय सावित्री बाई फुल छात्रावास, छावनी, कोटा	SC
11	राजकीय सावित्री बाई फुल छात्रावास, नान्ता, कोटा	SC
12	राजकीय सावित्री बाई फुल छात्रावास, पिपल्दा	SC
13	राजकीय सावित्री बाई फुल छात्रावास, राजगंजमण्डी	SC
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कन्सुआ, कोटा	SC
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बपावर	ST
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दिगोद	ST
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, इटावा	ST
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुल्तानपुर	ST
19	राजकीय देवनारायण विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, कोटा	SBC
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटा	OBC
	योग	

नोटः— सफल निविदादाता को उक्त छात्रावासों में स्वयं के खर्चे पर इन्वर्टर मय बैटरी का इन्सटॉलेशन भी करवाना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम एवं पता

> हस्ताक्षर निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

Siport

संलग्न दस्तावेजों की सूची

कं. सं.	नाम दस्तावेज / प्रमाण-पत्र	नत्थी सं.
01.	वस्तु एंव सेवा कर (GST)	
02.	आयकर (पैन नम्बर)	
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम .1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत	
04.	04. जुलाई–2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र / चालान की कॉफी	
05. राज्य / केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र		
06.	अन्य दस्तावेजः–01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड	

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एंव पूर्ण पता

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of

Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

í.

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is conside4red to be a situation, in which a party has interests that could improperly influence that part's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive of have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder in involved. However, this does not limit the inclusion of the some subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or nay of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that the subject or the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder with seal

Date: Place:

Ent

Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our bid submitted to Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department, Kota for supply of Inverter with batteries from the date of issuing the work order in response to their notice inviting bids no date........... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public procurement Act. 2012 that:

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity:
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state govt. or any local authority as specified in the bidding document:
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of my criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the act, rules and the bidding document, which materially affects fair competition:

Signature of bidder with seal

Date: Place:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The Additional Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is The Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designate under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the firs Appellate Authority, the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (4) Form of Appeal
 - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Date: Place: Signature of bidder with seal

313

Annexure-1 FORM NO.1 [See rule 83 of RTPP]

Mamorandum of appeal under the rajasthan transparency in public procurement act, 2012

Appeal No.....of

Before the...... (First/Second Apellate AuthorIty)

1. Particulars of appellant:

(i) Name	of the	appellant

(ii) Official address, if any

(iii) Residentlaal address

2. Name and address of the respondent (s);

(i)

(ii)

(iii)

(111)	
3. Number and date of the	order appealed against
and name and designation	on of the officer/authorlty
who passed the order (e	enclose copy) or a
statement of a declsion,	, action or omlssion of
the procuring entlty in	contravention to the provisions
of the act by which the	appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposs	to be represented
by a representative the	name and postal address
of the representative:	
5. Number of affidavits an	nd documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal:	
	(Supported by an affidavit)
7. Pcayer:	

Date:

Signature of bidder with seal



Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

- 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities
 - i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
 - ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
 - iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be e recovered from the supplier.

Date: Place Signature of bidder with seal